न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00556

नगर विकास न्यास जरिये सचिव, कार्यालय सीएडी चौराहा दादाबाडी, कोटा ।
---अपीलान्ट

बनाम

1. कालूलाल पुत्र स्व0 श्री सुखदेव जाति गुर्जर निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. हरजी लाल पुत्र स्व0 श्री सुखदेव जाति गुर्जर निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री सुखदेव जाति गुर्जर निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. महावीर पुत्र स्व0 सुखदेव जाति गुर्जर निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बद्री लाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 01.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनिमय का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 503/197 की रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता सुखदेव पुत्र नारायण गुर्जर के खाते व कब्जे की आराजी है । प्रार्थीगण के पिता उक्त भूमि पर अपने जीवनकाल में बतौर मालिक व खातेदार काबिज काश्त रहे उनके स्वर्गवास के उपरान्त प्रार्थीगण मृतक सुखदेव के वारिसान व

दौरान उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 357 कायम कर खसरा नम्बर 357 रकबा 2.16 हैक्टर सुखदेव के खाते में दर्ज कर दिया गया है जबकि खसरा नम्बर 503/197 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा के अनुसार नया रकबा 2.27 हैक्टर बनता है और मौके पर पूर्ववत यथावत सम्पूर्ण रकबा उसी अनुरूप विद्यमान है किन्तु सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी कारण के उक्त आराजी का 0.11 हैक्टर रकबा कम दर्ज कर उक्त 0.11 हैक्टर रकबा सिवायचक खसरा नम्बर 358 में मिला दिया जबकिपुराने रकबे 14 बीघा 01 बिस्वा के अनुसार प्रार्थीगण सम्पूर्ण रकबा 2.27 हैक्टर इन्द्राज दुरूस्ती कराकर अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं क्योंकि खातेदार सुखदेव का स्वर्गवास होने के बाद प्रार्थीगण ही उसके वारिसान व उत्तराधिकारी हैं । सेटलमेंट विभाग को रिकॉर्ड व रकबे में इस प्रकार से कमी बेशी करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा सेटलमेंट द्वारा की गई इस प्रकार की गलती कानूनन प्रारम्भ से प्रभावशून्य मानी गई है । मौके पर कब्जा आज भी प्रार्थीगण का ही है । प्रार्थीगण खसरा नम्बर 358 से 0.11 हैक्टर रकबा कम करवाकर अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 357 में मिलाकर खसरा नम्बर 357 का नया रकबा 2.27 हैक्टर इन्द्राज दुरूस्ती कराकर प्रार्थीगण अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का निर्णय पारित किया जावे कि प्रार्थीगण के पिता सुखदेव (मृतक) के खाते की आराजी गत खसरा नम्बर 503/197 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा के नये नम्बर 357 कायम कर रकबा 2.16 हैक्टर सुखदेव के खाते दर्ज किया गया है उसका गत रकबे 14 बीघा 01 बिस्वा के अनुसार नया रकबा 2.27 हैकटर कायम कर 0.11 हैक्टर रकबा सिवायचक खसरा नम्बर 358 से कम कर खसरा नम्बर 357 की 2.16 हैक्टर के स्थान पर 2.27 हैक्टर भूमि का खातेदार सुखदेव के स्थान पर प्रार्थीगण के खाते में दर्ज की जावे और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि सेटलमेंट द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर वह 0.11 हैक्टर रकबा जो सिवायचक खसरा नम्बर 358 में मिलाकर दर्ज कर दिया है उस पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में कोई मजाहमत व दखलन्दाजी नहीं करे और न ताकत के बल पर प्रार्थीगण को उक्त रकबे से बेदखल करे ।

4. अप्रार्थी नगर विकास न्यास द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने एवं प्रार्थीगण के 10 हजार रूपये का विशेष हर्जा दिलवाये जाने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.04.2018 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 के अन्तर्गत डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट नगर विकास न्यास के द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व की भूमि है जिसका सम्बन्ध तहसीलदार लाडपुरा से है । अपीलान्ट से विवादित भूमि का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है उसके बावजूद अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर उसके विरूद्ध आदेश पारित करने त्रुटि की है । तहसीलदार की रिपोर्ट व

खसरा नम्बर 358 रकबा 0.20 हैक्टर कायम किये गये हैं और खसरा नम्बर 357 रकबा 2.16 हैक्टर वादी के खाते दर्ज की गई तथा खसरा नम्बर 358 की 0.20 हैक्टर भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया तथा लोक प्रयोजनार्थ उक्त रकबे को धारा 92 ए आरएलआर एक्ट के तहत अपीलान्ट न्यास के खाते में दर्ज कर दिया गया । वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिलीफ मांगी गई है वह रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के विरूद्ध मांगी गई थी और सेटलमेंट द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर 0.11 हैक्टर रकबा सिवायचक खसरा नम्बर 358 में मिलाकर दर्ज कर दिया गया था उस पर वादीगण द्वारा मदाखलत व मजाहमत नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द करने की रिलीफ चाही गई थी किन्तु वादी द्वारा अपने वादपत्र को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य व दस्तावेज से साबित नहीं किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनाक 10.05.2018 को प्राप्त हो गयी थी किन्तु उसके बाद न्यास के अधिवक्ता से अपील के सम्बन्ध में लीगल ओपिनियन आने के बाद उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व भूमि है इसके बावजूद अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर अपीलान्ट के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा दावा पेश कर कथन किया गया है कि सेटलमेंट के द्वारा उनके रकबे में 0.11 हैक्टर की कमी कर दी गई और खसरा नम्बर 358 की 0.20 हैक्टर में गलत रूप से 0.11 हैक्टर आराजी शामिल कर दी गई । इसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई । सेटलमेंट से पूर्व वादीगण के खाते में खसरा नम्बर 503/197 की 14 बीघा 01 बिस्वा आराजी दर्ज थी । सेटलमेंट ने नया खसरा नम्बर 357 रकबा 2.16 हैक्टर कायम किया गया । जिला कलक्टर महोदय द्वारा धारा 92 (ए) भू–राजस्व अधिनियम के तहत लोक प्रयोजनार्थ खसरा नम्बर 358 की 0.20 हैक्टर आराजी न्यास के खाते में दर्ज की गई । वादी के द्वारा अपने कथनों को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया गया था फिर भी दावा डिक्री डिक्री किया गया । वादी के द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उनके खाते की जो आराजी कम की गई थी वो किस खसरा नम्बर में शामिल की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत परीक्षण न्यायालय में पेश किया

के द्वारा भी पेश किया गया था । प्रार्थी के द्वारा दिनांक 07.02.2018 को यह प्रार्थना पत्र पेश किया था कि प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में एक आदेश दिनांक 14.07.2017 को कैम्प कोर्ट में पारित किया गया था जिसके अनुसार कमी रकबे की पूर्ति आराजी खसरा नम्बर 362 की रकबा 0.03 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 348 की 0.08 हैक्टर में से की गई थी परन्तु वो दोनों ही रकबे प्रार्थी के खेत से काफी दूर हैं । आराजी खसरा नम्बर 361 गैरमु0 धौरा है और खसरा नम्बर 348 सिंचाई विभाग के खाते में है जिस पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है । प्रार्थी के खाते की आराजी से लगवा खसरा नम्बर 358 रकबा 0.20 हैक्टर जिससे प्रार्थी के खाते के रकबे की कमी पूर्ति की जावे और धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को धारा 88, 89 के रूप में निर्णित किया जावे । पत्रावली पर एक रिपोर्ट तहसीलदार लाडपुरा, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं । इसके अलावा मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी संवत् 2024–36, 2038–57, 2067–70, 2071–74 की फोटो प्रतियॉ संलग्न हैं । मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–57, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी संवत् 2024–27, नकल जमाबन्दी संवत् 2038–57 भू–प्रबन्ध विभाग की प्रमाणित प्रतियॉ भी पत्रावली पर संलग्न हैं । पत्रावली पर एक प्रार्थना पत्र वादी के द्वारा दिनांक 07.02.2018 को पेश कर यह कथन किया गया है कि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के रूप में निर्णित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक रिपोर्ट तहसीलदार लाडपुरा, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं । इसके अलावा मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी संवत् 2024–36, 2038–57, 2067–70, 2071–74 की फोटो प्रतियॉ संलग्न हैं । मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–57, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी संवत् 2024–27, नकल जमाबन्दी संवत् 2038–57 भू–प्रबन्ध विभाग की प्रमाणित प्रतियॉ भी पत्रावली पर संलग्न हैं । पत्रावली पर एक प्रार्थना पत्र वादी के द्वारा दिनांक 07.02.2018 को पेश कर यह कथन किया गया है कि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के रूप में निर्णित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वो हक घोषणा के दावे धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित की गई है । यदि निर्णय और डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के तहत पारित की गई है तो ऐसी स्थिति में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर और तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी और प्रतिवादी में से किसी के भी बयान नहीं लिये गये हैं और न ही दस्जावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है । इस प्रकार सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 01.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/1/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा